

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4
संख्या-180/2020/1691/20-27-सिं0-4-223(डब्ल्यू)/2012
लखनऊ: दिनांक: 16 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-168/2018/1720/18-27-सिं0-4-223(डब्ल्यू)/2012, दिनांक 26 जुलाई, 2018 द्वारा श्री सुशील कुमार (सेवानिवृत्त आई0ए0एस0) बंगला नं0 ए0बी0-14, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110001 को उनके पद ग्रहण करने के दिनांक से 30प्र0 जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये जाने पर दिनांक 24.08.2018 को अध्यक्ष, 30प्र0 जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग के पद की शपथ ग्रहण करते हुए कार्यभार ग्रहण किया गया।

2. 30प्र0 जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-7(1) में निहित प्राविधानानुसार श्री सुशील कुमार, अध्यक्ष, 30प्र0 जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग के पद का 02 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 23.08.2020 को पूर्ण होने पर संगत अधिनियम में निहित व्यवस्थान्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उन्हें उक्त पद पर दिनांक 24.08.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक पुनर्नियुक्त किया जाता है।

टी0 वेंकटेश
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-180/2020/1691(I)/20-27-सिं0-4, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की स्वच्छ प्रति इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित कर अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री सुशील कुमार, अध्यक्ष, 30प्र0 जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग, वाल्मी भवन, लखनऊ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
5. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्वारा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
7. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
8. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(फूल चन्द्र)
संयुक्त सचिव।